संख्याः 74 /XIII-I/2010-5(32)/2007

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1

देहरादून दिनांक 01 जनवरी, 2010

विषयः–एकीकृत बहुउद्देशीय जल संभरण योजना के क्रियान्वयन हेतु संशोधित दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 कृ0नि0/4961/तक0सं0प्रे0/जल संभरण/2009–10 दिनांक 16.11.2009 के क्रम में एकीकृत बहुउद्देशीय जल संभरण योजना हेतु संशोधित दिशा–निर्देश की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल संभरण योजना के अन्तर्गत संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य सम्पादित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्याः 74 /XIII-I/2010-5(32)/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमांऊ मण्डल हल्द्वानी।
7. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त सहायक निदेशक, जलागम, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उपसचिव

48 D/Year 2010/ G.O.

(92)

206
(50)

एकीकृत बहुउद्देशीय संशोधित जल संभरण योजना हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम की आवश्यकता एवं औचित्य–

जल प्रकृति का निःशुल्क उपहार ही नहीं, जीवन का कुल आधार भी है। यही कारण है कि वर्षों से जल के संरक्षण के सम्बन्ध में मानव द्वारा विविध प्रयास किये गये है और यह प्रयास आज भी जारी है।

उत्तराखण्ड में अधिकांश भाग पर्वतीय होने के कारण सिंचाई की सुविधायें सीमित हैं। सामान्यतया वर्षा अच्छी होती है, किन्तु तीव्र ढाल होने के कारण वर्षा जल तीव्र वेग से निचले मैदानी क्षेत्रों की ओर बह जाता है तथा मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनता है। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे बहुवर्षीय पानी के स्रोत उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग सिंचाई एवं अन्य आर्थिक विकास हेतु किया जा सकता है। गत वर्षों से जलागम प्रबंधन पद्धति पर चयनित जलागम क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संभरण की तकनीकों को उपयोग में लाया गया है, जिससे संरक्षित क्षेत्रों में फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध कराने में सहायक मिली है तथा पूर्णतया सूखे (Crop Failure) की स्थिति से बचाया गया है।

पद्यति विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है तथा कृषकों का आय स्तर भी संतोषजनक नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में एकीकृत बहुउद्देशीय जल संभरण योजना के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ कृषकों की आय में भी वृद्धि किये जाने की व्यापक संभावनायें हैं।

संकल्पना एवं उद्देश्य–

1. कृषि विकास हेतु फार्मिंग सिस्टम एप्रोच (Farming System Approach) को महत्ता प्रदान करना।
2. अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन करते हुए तथा नमी संरक्षण की विधियां से फसल उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास।
3. कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देकर कृषकों की आय सर्जक गतिविधियों को बढ़ाना।

कार्यदायी संस्था–

कार्यक्रमों का संपादन कृषि विभाग की न्याय पंचायत प्रभारी द्वारा श्रमिकों के माध्यम से विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुरूप कराया जायेगा, ताकि क्षेत्रीय रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके।

योजना का प्रारूप एवं भौतिक कार्यक्रम जो संपादित किये जायेंगे–

1. सिंचाई सुविधा का सृजन (फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु)।
2. मत्स्य पालन (कृषकों के आर्थिक विकास हेतु)।
3. मुर्गी/बत्तख पालन (कृषकों के आर्थिक विकास हेतु)।

4. तालाब के चारों किनारे के मिट्टी बांध के अन्दर भाग में केले का पौध रोपण (कृषकों के आर्थिक विकास तथा मछली के भोजन हेतु)।
5. तालाब के चारों किनारे के मिट्टी के बांध के उपर तथा बाहरी भाग में नैपियर घास रोपण (चारा विकास तथा मछली के भोजन हेतु प्रयोगार्थ)।
6. तालाब के चारों किनारे के मिट्टी बांध के उपर निर्धारित दूरी पर उद्यान के पौधों का रोपण (कृषकों के आर्थिक विकास हेतु) तथा अरहर का रोपण कार्य (कृषकों के आर्थिक विकास तथा मछली के भोजन हेतु)।
7. तालाब के निचले कृषि क्षेत्र में नमी में वृद्धि व भूमिगत जल स्तर बढ़ाना।

कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र–

कार्यक्रम के लिए उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों का चयन किया गया है। एक या एक से अधिक गांवों में जहां भी इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव तथा भूमि उपलब्ध हो, वहां परियोजना का चयन किया जा सकेगा।

योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित भौतिक कार्यक्रम–

योजना के अन्तर्गत ऐसी संरचनाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है, जिनसे वर्षा जल का अधिकाधिक संग्रह सुनिश्चित करते हुए शुष्क मौसम में उसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

1. फैरो सीमेन्ट लाइन्ड टैंक।
2. पॉलिथीन लाइन्ड टैंक।
3. आर0आर0 पत्थर चिनाई लाइन्ड टैंक।
4. सीमेन्ट कंकरीट लाइन्ड टैंक।
5. पक्के टैंकों का निर्माण।
6. सिंचाई कार्य हेतु पक्के चैकडैम का निर्माण।
7. छतों के वर्षा जल संरक्षण हेतु टैंकों का निर्माण।

संरचनाओं का निरीक्षण, सर्वेक्षण एवं सत्यापन–

कृषि विभाग में मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत।

योजना के लाभ जो प्रतिवेदित किये जायेंगे–

1. अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन (है0 में)।
2. उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि से आय में वृद्धि।
3. एकीकृत बहुउद्देशीय जल संभरण योजना से कृषकों की आय में वृद्धि।

योजना के सन्दर्भ में अन्य उल्लेखनीय प्राविधान–

1. सामूहिक भूमि के कार्यों पर किसी प्रकार का अंशदान नहीं देना होगा, परन्तु व्यक्तिगत भूमि के कार्यों में सामान्य लाभार्थी से 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थी से 10 प्रतिशत अंशदान लिया जायेगा।
2. परियोजना के चयन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों एवं इन वर्गों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. व्यक्तिगत भूमि के निर्माण में किये जाने वाले जल संग्रहण टैंक की क्षमता कम से कम 1000 घन फिट होगी, जबकि सामूहिक भूमि निर्माण किये जाने वाले जल संग्रहण टैंक की क्षमता कम से कम 8000 घन फिट होगी। इनकी गहराई अधिकतम 5 फिट तथा न्यूनतम 4 फिट होगी। इनकी आकृति स्थानीय भूमि की उपलब्धता के अनुसार Trapezodial/आयाताकार/वर्गाकार आकार में रखी जायेगी तथा लम्बाई एवं चौड़ाई के मध्य 3:1 से अधिक का अनुपात न हो।
4. पक्का कार्य संपादित कराने से पूर्व उसकी स्वीकृति मण्डलीय अधिकारी से लेनी आवश्यक होगी। समस्त आगणनों की सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
5. पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम Sandy Loan भूमि होने के कारण परकुलेशन दर को कम करने/रोकने की आवश्यकता है, जिससे संग्रहित पानी का उपयोग सिंचाई एवं मछली पालन हेतु किया जा सके। इस हेतु ग्राउन्ड लेबल (जी0एल0) से नीचे टैंक का निर्माण निम्न डिजाइन के अनुसार किया जा सकता है–

(1) स्टोन मैसेनरी लाइन्ड टैंक बनाने हेतु अधितम 20 से0मी0 मोटी आर0आर0 स्टोन मैसेनरी की चिनाई करते हुए, उपर से निर्धारित माप दण्ड के अनुसार प्लास्टर का कार्य कराया जाय।

(2) कंकरीट सीमेन्ट लाइन्ड टैंक बनाने हेतु 8 से0मी0 मोटी 1:4:8 के अनुपात में सीमेन्ट कंकरीट की जाय। इसके उपर 2.5 से0मी0 मोटी 1:2:4 के अनुपात में सीमेन्ट कंकरीट किया जाय तथा उसके उपर निर्धारित माप दण्ड के अनुसार प्लास्टर कार्य किया जाय।

(3) फैरो सीमेन्ट लाइन्ड टैंक बनाने हेतु तलहटी में 8 से0मी0 मोटी 1:4:8 के अनुपात में सीमेन्ट कंकरीट की जाय। तत्पश्चात इसके उपर पूरे ट्रिपज्वाइडल आकार के अन्दर भाग में 2.5 से0मी0 मोटी 1:2:4 के अनुपात में सीमेन्ट कंकरीट की जाय तथा उसके उपर मुर्गी जाली के 2 सतह बिछाकर फैरो सीमेन्ट वाटर प्रुफिंग कंपाउन्ड के साथ 1:3 (सीमेन्ट बालू) के अनुपात में प्लास्टर का कार्य किया जाय तथा बाहरी साइड में गेट वाल्ब लगाया जाय।

(4) उपरोक्त सभी प्रकार के टैंक के किनारे ग्राउन्ड लेबल पर 50 से0मी0 स्थान छोड़ा जाय, जिसमें स्थलीय आवश्यकता के अनुसार पौध रोपण किया जाय। टैंक के खुदान से निकले मिट्टी से बांध का निर्माण चारों किनारों पर किया जाय तथा कॉम्पैक्ट करते हुए बांध के उपर नैपियर घास/अन्य घासों का रोपण किया जाय तथा निर्धारित दूर पर बांध के उपर बीच–बीच में उद्यानीकरण के पौधे लगाये जाय।

(5) टैंक में मछली पालन का भी कार्य कराया जाय।

(6) टैंक के बांध से लेकर पानी के अन्दर की ओर मुर्गी/बत्तख पालन जालीदार प्लेटफार्म का निर्माण किया जाय, जिससे मुर्गी/बत्तख के बिट मछली को भोजन भी प्राप्त हो सके।

(7) टैंक के बाहरी भाग वाले हिस्से पर 2 इंच Diameter के 2 गेट वॉल्व लगाये जाय। पहला गेट वॉल्व टैंक के तलहटी में लगाया जाय तथा दूसरा गेट वॉल्व तलहटी से 2 फिट की उंचाई पर सीमेन्ट कंकरीट के साथ लगाया जाय, जिससे आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य तथा मछली पालन का कार्य सुनिश्चित हो सके।

(8) पालीटैंक, एल0डी0पी0ई0 टैंक तथा टारफेल्ट टैंक का निर्माण विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान के डिजाइन के अनुसार किया जाय।

(9) पर्वतीय क्षेत्र में अधिक ढाल होने के कारण आवश्यकतानुसार वायर क्रेट में तालाब के सामने वाले हिस्से में रिटेनिंग वाल/सपोर्ट वाल लगायी जा सकती है।

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव कृषि